न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र
प्रकरण सं. 169 / 2025 (GCMS 2025/261)

देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी चक 17 एफएफ तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

बनाम

1. **अर्पणजीत कौर** पुत्री देवेन्द्र सिंह पत्नी मनप्रीत सिंह जाति जटसिख निवासी हाल 10 एफ तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
2. **गुरचरण सिंह** पुत्र श्री तारा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 17 एफएफ तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
3. **सहनाज कौर** पुत्री देवेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 44 जीजी तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर
4. **रिपनजोत सिंह** पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी चक 17 एफएफ तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व गजसिंहपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.07.2025

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री फलभूर सिंह एवं अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता श्री अमनदीप सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है, जिसके कारण प्रार्थी उक्त प्रकरण को दाखिल दफ्तर करवाना चाहता है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के यहां लम्बित प्रकरण में भी पक्षकारान राजीनामा प्रस्तुत करने जा रहे है। ऐसी सूरत में मुंतकिल प्रार्थना पत्र को दाखिल दफ्तर [illegible] जाना इंसाफ की दृष्टि से आवश्यक एवं उचित है। इसलिए प्रार्थी के अधिवक्ता ने मुंतकिल प्रार्थना पत्र को दाखिल दफ्तर किये जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:22:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि राजीनामा के आधार पर मुंतकिली प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय के प्रकरण अनवानी अर्पणजीत कौर बनाम गुरचरण सिंह आदि मूल प्रकरण संख्या 79/2025 अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने के लिए यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया था। अब चूंकि पक्षकारान का इस पत्रावली में राजीनामा हो गया है इसलिए वे इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है और अप्रार्थी के अधिवक्ता ने भी कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी देवेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय में पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:22:09 IST
Reason: SelfAttested